प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला– सवाईमाधोपुर, थाना– प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष–2022
प्र0सू0रि0 सं. 53/22 दिनांक 18/2/22

2. (I) अधिनियमः–धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.दं.सं.

(II) अधिनियम ..... धारायें

(III) अधिनियम ..... धारायें .....

(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0.....

3 रोजनामचा आम रपट संख्या 391 समय 5:40 P.M.

(ब) अपराध घटने का दिन–गुरूवार दिनांक 17.02.2022 समय 11.30 एएम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– सूत्र सूचना

5. घटनास्थलः–फ्लेट नं. 202, ऑर्चिड रेजिडेन्सी, मोती डूंगरी अलवर

(अ पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– बजानिब उतर दिशा 215 किलोमीटर

(ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. (प)परिवादी /सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम–श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा

(ब) पिता/पति का नाम–

(स) जन्म तिथी–

(द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि
जारी होने की जगह .....

(र) व्यवसाय–अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, सवाई माधोपुर ।

(ल) पता–

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1–श्री नरेन्द्र मीना पुत्र स्व. श्री प्रहलाद सिंह, जाति मीना, उम्र 48 निवासी फ्लेट नं. 202, ऑर्चिड रेजिडेन्सी, मोती डूंगरी अलवर, हाल वार्ड पार्षद वार्ड नं. 30 नगर परिषद अलवर, जिला अलवर

2–श्री रमेश गुप्ता पुत्र स्व. श्री शिवदयाल गुप्ता जाति महाजन, उम्र 50 वर्ष, निवासी मोहल्ला अखेपुरा, पुलिस थाना कोतवाली, हाल ठेकेदार नगर परिषद अलवर, जिला अलवर

3–श्री संजीव भार्गव उर्फ छोटू पुत्र स्व. श्री भागीरथ भार्गव जाति ब्राहम्मण, उम्र 53 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, आर्य नगर, अलवर, हाल ठेकेदार नगर परिषद अलवर, जिला अलवर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य–5,15,000/– रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

दिनांक 17–02–2022 को मन सुरेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो, सवाई माधोपुर द्वारा श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा को सूत्र सुचना पर कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश मिले। इस सम्बन्ध में श्री राजेश दुरेजा पुलिस उप अधीक्षक तकनीकी शाखा जयपुर की सूत्र सूचना दिनांक 16.02.2022 मय पृष्ठाकंन श्रीमान महानिदेशक महोदय इस आशय की प्राप्त हुई है कि नगर परिषद अलवर में पदस्थापित इंजिनियर श्री दिनेश, श्री नरेन्द्र मीना पार्षद, श्री मुकेश चैयरमैन द्वारा ठेकेदार रमेश गुप्ता तथा श्री संजीव भार्गव तथा अन्य ठेकेदारो के पक्ष में टैण्डर निकलवाने के नाम पर स्वंय के लिये तथा लोक–सेवकों के लिये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। उक्त सूचना का गोपनीय सत्यापन किया गया, जिसकी तकनीकी विश्लेषण से पुष्टि होने पर संबंधित संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाईल नम्बर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरान्त अन्तावरोध पर लिये गये तथा गोपनीय रूप से सत्यापन भी किया गया तो सूत्र सूचना के तथ्यों की पुष्टि हुई। इसी

क्रम में अन्तावरोध वार्ताओं के दौरान प्रकट हुआ कि नगर परिषद ठेकेदार श्री रमेश गुप्ता द्वारा नगर परिषद के अन्य ठेकेदारों से वर्क ऑर्डर जारी करवाने की एवज में संबंधित लोक–सेवकों के लिये कमीशन के रूप में रिश्वत राशि एकत्रित कर रहे है और उनके द्वारा एकत्रित रिश्वत राशि को दिनांक 17.02.2022 को श्री नरेन्द्र मीना उर्फ भाई साहब वार्ड पार्षद वार्ड नं. 30 नगर परिषद अलवर को प्रातः दी जावेगी। उक्त सूचना के सम्बन्ध में कार्यवाही के लिये सक्षम न्यायालय से सर्च वारन्ट प्राप्त करने में समय लगने के कारण और इस अवधि में नरेन्द्र मीना वार्ड पार्षद वार्ड नं. 30 नगर परिषद अलवर के द्वारा रिश्वत में लिए जाने वाले रूपयों एवं अन्य बहुमूल्य वजह सबुत दस्तावेजात आदि सामान खुर्दबुर्द किए जाने की पूर्ण संभावना होने के कारण कानून में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो स्टॉफ सर्वश्री हनुमान प्रसाद शर्मा हैड कानि. नं. 74, श्री जुगलाल कानि. 459, श्री भोलाराम कानि. 281, श्री मनोज कुमार कानि. 133 एवं स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र सिंह, श्री टीकम चन्द वर्मा, मय प्राईवेट वाहन के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर अलवर पर पहूंचा। उक्त सूत्र सूचना के क्रम में मैं मय ब्यूरो दल के कम्पनी बाग पर मुकीम हुआ, उक्त कार्यवाही में तकनीकी सहायता एवं गोपनीय निगरानी हेतु श्री केशर सिंह हैड कानि. नं. 38, श्री अनिल सिंह कानि. 381 तकनीकी शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर भी नियुक्त है और निरंतर मेरे संपर्क में है। इसी दौरान समय करीब 09.15 ए.एम पर श्री अनिल सिंह, कानि. द्वारा सूचना दी गई कि वार्ताओं से प्रकट हुआ है कि कुछ ही समय में ठेकेदार रमेश गुप्ता अन्य ठेकेदारों से एकत्रित की गई रिश्वत राशि नगर परिषद अलवर के अधिकारियों एवं अन्य लोक–सेवकों को वितरित किये जाने के लिये श्री नरेन्द्र मीना वार्ड पार्षद को देने उनके पास जा रहा है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस द्वारा श्री अनिल सिंह कानि. को निर्देश दिये कि वह श्री रमेश गुप्ता के निवास से उनका पीछा करते हुये चले और समय–समय पर मुझे सुचित करें। श्री अनिल सिंह द्वारा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को समय करीब 09.30 ए.एम पर सूचना दी की रमेश गुप्ता ठेकेदार एक सफेद रंग की स्कूटी जिसका नम्बर आर.जे. 02 ईएस 4811 से नरेन्द्र मीना वार्ड पार्षद के पास उनके रूपबास, अलवर स्थित कार्यालय के गेट पर पहुंचा है, वहां पूर्व से श्री नरेन्द्र मीना, कार्यालय में उपस्थित थे। श्री रमेश गुप्ता ने अपनी स्कूटी आरजे 02 ईएस 4811 की डिक्की से सफेद रंग की थैली निकालकर श्री नरेन्द्र मीना को दी। श्री नरेन्द्र मीना ने वह सफेद रंग की थैली अपने पास रखी और तत्काल ही वहां से अपनी फॉरच्युनर कार, जिसका रजिस्ट्रैशन नं. आरजे 02 यूबी 3800 से रवाना हो गये। कुछ समय पश्चात मुकीमशुदा मन अति. पुलिस अधीक्षक एवं हमराहीयान के सामने ही ऑर्चिड रेजिडेन्सी, के गेट पर श्री नरेन्द्र मीणा अपनी फॉरचूनर कार से आये और कार से उतरकर अपने फ्लैट में चले गये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के साथ उनके निवास में प्रवेश हेतु समझाईस कर ही रहा था कि कुछ समय पश्चात् श्री नरेन्द्र मीना वापस नीचे आकर अपनी कार में बैठकर रवाना हो गया, जिसके पीछे–पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता, स्वतंत्र गवाह तथा तकनीकी शाखा के कार्मिकों के साथ नरेन्द्र मीना की फॉरचूनर आर.जे. 02 यू.बी. 3800 का पीछा करते हुए रवाना हुआ। श्री नरेन्द्र मीना, सूचना केन्द्र कम्पनी बाग के सामने स्थित श्री कमलेश कुमार मीना, आयुक्त नगर परिषद के सरकारी आवास पर पहुंचा, जहां पर श्री नरेन्द्र मीना अपनी कार से उतरकर आयुक्त कमलेश कुमार मीना के आवास में प्रवेश कर गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता के श्री नरेन्द्र मीना का पीछा करता हुआ, आयुक्त नगर परिषद के आवास पर पहुंचा और उनके आवास में प्रवेश किया तो वहां ड्राईंग रूम में तीन व्यक्ति कुर्सीयों पर बैठे हुये मिले, इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उनके नाम पते पूछे तो एक ने अपना नाम श्री नरेन्द्र मीना पुत्र स्व. श्री प्रहलाद सिंह, जाति मीना, उम्र 48 निवासी फ्लेट नं. 202, ऑर्चिड रेजिडेन्सी, मोती डूंगरी अलवर, हाल वार्ड पार्षद वार्ड नं. 30 नगर परिषद अलवर, जिला अलवर तथा दूसरे ने अपना नाम कमलेश कुमार मीना, आयुक्त नगर परिषद अलवर तथा तीसरे ने अपना नाम मुकेश सागवान सभापति नगर परिषद अलवर होना बताया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री नरेन्द्र मीना वार्ड पार्षद को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अन्य कमरे में ले जाकर श्री रमेश गुप्ता ठेकेदार द्वारा सफेद थैली में दी गई राशि के संबंध में पूंछा तो नरेन्द्र मीना ने बताया कि रमेश गुप्ता ठेकेदार ने मुझे मेरे पेट्रोल पम्प की बकाया राशि 5,15,000/– रूपये दिये है, जिन्हें मैं, मेरे निवास फ्लेट नं. 202, ऑर्चिड रेजिडेन्सी, मोती डूंगरी अलवर पर आलमारी में रख कर आया हूँ। मेरे द्वारा तकनीकी शाखा के कार्मिक श्री अनिल सिंह को भ्रष्टाचार निराधेक ब्यूरो, अलवर की चौकी पर पदस्थापित श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक से सामंजस्य रखते हुए, श्री रमेश गुप्ता को निरूद्ध कर तथा इसी क्रम में हैडकानि. केशर सिंह को नगर परिषद ठेकेदार श्री संजीव भार्गव उर्फ छोटू को निरूद्ध कर, श्री नरेन्द्र मीणा के निवास स्थान ऑर्चिड रेजीडेन्सी, मोतीडूंगरी लेकर आने के निर्देश दिये। श्री रमेश गुप्ता, ठेकेदार से दी गई राशि, भ्रष्ट कृत्य से सम्बन्धित है और इस सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र मीणा के निवास की तलाशी ली जानी है, अतः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री नरेन्द्र मीना वार्ड पार्षद तथा मय हमराहीयान, स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर फ्लेट नं. 202, ऑर्चिड रेजिडेन्सी, मोती डूंगरी अलवर पहुंचा, जहां पर श्री नरेन्द्र मीना ने अपने निवास के गेट की वेल बजायी, जिस पर श्री नरेन्द्र मीना की पत्नि ने गेट खोला, जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये आने का कारण बताया तथा मकान की खाना तलाशी लेने बाबत मौखिक स्वीकृति चाही तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व मय हमराहीयान की तलाशी लेने हेतु कहने पर श्रीमति दीपशिखा ने मौखिक स्वीकृति देते हुये स्टाफ की

तलाशी लेने हेतु मना किया, इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता के श्री नरेन्द्र मीना के मकान में प्रवेश किया जिसके दक्षिण–पूर्व दिशा में बने कमरे में रखी लोहे की आलमारी मे से एक सफेद कपडे की थैली जिसका मुंह रबड बेंड से बंधा हुआ को निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की और बताया कि यह वो राशि है जो रमेश गुप्ता ठेकेदार ने मुझे दी है जिसको हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सफेद कपडे की थैली का मुंह खोलकर स्वंतत्र गवाहान से गिनवाया तो पांच–पांच सो रूपये के दस बंडल जिसके नो बंडलो में भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के सौ सौ नोट तथा एक पांच–पांच सौ रूपये के बंडल में नब्बे नोट पांच–पांच सो रूपये है तथा एक बंडल दौ–दौ सो रूपये का है, जिसमें दौ–दौ सौ रूपये के सौ नोट है, कुल राशि जिनको स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो कुल 5,15,000/– रूपये होना पाया गया तथा इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा नरेन्द्र मीना के द्वारा पेश की गई राशि 5,15,000/– रूपये वाले कमरे की जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई तो उसी लोहे की आलमारी से 39,000/– रूपये और मिले जिनके बारे में नरेन्द्र मीना व नरेन्द्र मीना की पत्नि से पूछताछ की तो उक्त राशि 39,000/– स्वंय के घरेलू खर्चे के होना बताने पर आरोपी की पत्नि को 39000/–रूपये लोटाये। खानातलाशी के दौरान नगर परिषद, ठेकेदार श्री रमेश गुप्ता तथा श्री संजीव भार्गव उर्फ छोटू भी श्री नरेन्द्र मीणा के निवास स्थान पर उपस्थित आ चुके है। श्री नरेन्द्र मीणा से भ्रष्ट आचरण में संलिप्त 5,15,000 रूपये की रिश्वत राशि के सम्बन्ध में श्री रमेश गुप्ता, नगर परिषद, ठेकेदार से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि नगर परिषद, अलवर में किये गये टैण्डर और जारी किये गये वर्क ऑर्डर के सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 4.02.2022 को भी राशि दी गई थी और वर्क ऑर्डर जारी करने के पश्चात् आज मेरे पास 5 ठेकेदारों की कुल 5,15,000 रूपये राशि एकत्रित हुई थी, जो मैं आज श्री नरेन्द्र मीणा के निर्देशानुसार लेकर आया था और एक सफेद रंग की थैली में देकर गया था। इस सम्बन्ध में श्री संजीव भार्गव उर्फ छोटू से पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरे पार्टनर श्री वीरेन्द्र जैन के नाम से वर्क ऑर्डर जारी हुआ है, उसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिनांक 16.02.2022 को श्री रमेश गुप्ता को 2 लाख रूपये की राशि, नगर परिषद अधिकारियों एवं लोकसेवकों को दिये जाने के लिये कमीशन के रूप में दी गई थी।

दौराने खाना तलाशी सम्बंधित आरोपी श्री नरेन्द्र मीना वार्ड पार्षद के कब्जे से एक मोबाईल फोन SAMSUNG GALAXY S20 Ultra LTE कम्पनी का मिला, जिसके आईएमईआई नं. 354896110822775 व 354896110822773 है, श्री रमेश गुप्ता ठेकेदार के कब्जे से एक मोबाईल फोन REALME RMX 1911 कम्पनी का मिला, जिसके आईएमईआई नं. 868581046354353 व 868581046354346 है, श्री संजीव भार्गव उर्फ छोटू के कब्जे से एक मोबाईल फोन REDMI NOTE 9 PRO MAX कम्पनी का मिला, जिसके आईएमईआई नं. 865528052269531 व 865528052269549 है। उक्त तीनों मोबाईल फोन प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित है और आरोपीगणों के मध्य संदिग्ध वाट्सअप वार्ता/कॉल हुये है, इस सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार, कानि. 133 के मोबाईल से तीनों आरोपीगणों के फोन में प्रकरण से सम्बन्धित संरक्षित वाट्सअप चैट/कॉल के फोटोज लिये जाकर पीडीएफ तैयार किया जाकर प्रिन्ट लिया गया एवं शामिल फर्द किया गया। उक्त तीनों मोबाईल फोन प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित होकर अनुसंधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अतः उक्त तीनो मोबाईल फोन को बतौर वजह सबूत हस्बकायदा जप्त किया जाकर सील मोहर किया गया एवं श्री नरेन्द्र मीणा के मोबाईल फोन को मार्का–एन, श्री रमेश गुप्ता को मार्का–आर एवं श्री संजीव भार्गव उर्फ छोटू के मोबाईल फोन को मार्का–एस दिया गया तथा नरेन्द्र मीना वार्ड पार्षद के रिहायशी मकान की खाना तलाशी में मिले 5,15,000/–रूपये रिश्वती राशि को बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। श्री नरेन्द्र मीना वार्ड पार्षद नगर परिषद अलवर द्वारा उक्त 5,15000/–रूपये के सम्बधं में दिया गया जवाब निराधार है, क्योंकि आरोपी नरेन्द्र मीना ने पूर्व में बताया था कि रमेश गुप्ता ठेकेदार ने मुझे मेरे पेट्रोल पम्प की बकाया राशि 5,15,000/– रूपये दिये है, जबकि रमेश गुप्ता, नगर परिषद, ठेकेदार से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि नगर परिषद, अलवर में किये गये टैण्डर और जारी किये गये वर्क ऑर्डर के सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 4.02.2022 को भी राशि दी गई थी और वर्क ऑर्डर जारी करने के पश्चात् आज मेरे पास 5 ठेकेदारों की कुल 5,15,000 रूपये राशि एकत्रित हुई थी, जो मैं आज श्री नरेन्द्र मीणा के निर्देशानुसार लेकर आया था और एक सफेद रंग की थैली में देकर गया था। इस सम्बन्ध में श्री संजीव भार्गव उर्फ छोटू से पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरे पार्टनर श्री वीरेन्द्र जैन के नाम से वर्क ऑर्डर जारी हुआ है, उसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिनांक 16.02.2022 को श्री रमेश गुप्ता को 2 लाख रूपये की राशि, नगर परिषद अधिकारियों एवं लोकसेवकों को दिये जाने के लिये कमीशन के रूप में दी गई थी। श्री राजेश दुरेजा पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पेश एसआईआर मे दिनांक 16.02.2022 को समय 07:54:49 पर संजीव भार्गव उर्फ छोटू ठैकेदार के मध्य हुई वार्ता में छोटू नरेन्द्र मीना को भाई साहब कहता है ओर नमस्कार करता है ओर नरेन्द्र कहता है आपके तो दर्शन ही नही है, छोटू कहता है कि आज या कल पक्का आउगा फिर दोनो काम शूरू करने की बात करते है नरेन्द्र शाम तक मिलने की कहता है कि आज सम्भावना कम है कल के चांस ज्यादा है। तथा दिनांक 16–02–2022 को समय 09:15:26 पर संजीव भार्गव उर्फ छोटू ठेकेदार के मोबाईल नम्बर 9414016132 एवं मोबाईल नम्बर 9414016129 के मध्य हुई वार्ता में चैक मांगता है और कहता कि नगर परिषद वालों को आज कमीशन देना है। यहां तो नगर परिषद

और यूआईटी में हाल ही खराब है। कलेक्टर, चैयरमेन, तैयब सबकास मिलाके 15 हो जाता है। काम करना ही बेकार है। सामने वाला चौक भिजवाने की हामी करता है। दिनांक 16.02.2022 को समय 18:08:49 पर रमेश गुप्ता के मोबाईल नम्बर 9414483609 से दिनेश इंजीनियर के मोबाईल नंबर 8058998923 मध्य हुई वार्ता में दिनेश पूछता है कि कुछ हुआ आये कुछ आये कर्मचारी। रमेश कहता है कि आये तो हैं पर वो भाई साहब तो आज बाहर है। घर पूछ के आये थे, गाडी उनकी खडी है, गार्ड से पूछ के आये थे, वो बोलो कि किसी के साथ गये है। कितने कर्मचारी (संभवतः ठेकेदारो के लिये कोड वर्ड में बात कर रहा है।) इकटठे हो गये। रमेश हंसते हुये कहता है कि पांच छः तो हो गये, बाकी सुबह होयेंगे। अतः विगत दिनो नगर परिषद अलवर के विभिन्न वार्डो मे हुये विभिन्न निर्माण कार्यो के सम्बंध में निविदाये जारी की गई थी जिसमे नरेन्द्र मीना वार्ड पार्षद नगर परिषद ने रमेश गुप्ता ठैकेदार ,सजीव भार्गव ठेकेदार के मार्फत अन्य संवेदको से कमीशन की राशी प्राप्त कर नगर परिषद के विभिन्न टैण्डर प्रकिया मे अनियमितता बरतने के लिये नगर परिषद के अधिकारीयो से मिलीभगत कर रिश्वत देने वाले ठैकेदारो के पक्ष में नियम विरूद्व टैण्डर करवाने व वर्क आर्डर दिलवाने के लिये रिश्वत की मांग करना प्रमाणित पाया जाता है।

उपरोक्त एवं दीगर अन्तावरोध वार्ताओ तथा सूत्र सूचना के सत्यापन मे मोबाईल अन्तावरोध पर लिसे गये नरेन्द्र मीना वार्ड पार्षद, रमेश गुप्ता ठेकेदार, संजीव भार्गव उर्फ छोटू की एवं अन्य सदिग्धो से हुई सम्बंधित वार्ताओ को सूनने पर प्रतित होता है कि नगर परिषद, अलवर से सम्बन्धित कार्यो के रिश्वत प्रदान करने वाले ठेकेदारो के पक्ष में वर्क ऑर्डर जारी करवाने के लिये आपसी मिलीभगत कर ठेकेदार रमेश गुप्ता, ठेकेदार संजीव भार्गव उर्फ छोटू से श्री नरेन्द्र मीणा पार्षद द्वारा स्वंय व अन्य लोक सेवको के लिये रिश्वत राशि प्राप्त करना प्रमाणित पाया जाता है।

अब तक की कार्यवाही से श्री नरेन्द्र मीना पुत्र स्व. श्री प्रहलाद सिंह, जाति मीना, उम्र 48 निवासी फ्लेट नं. 202, ऑर्चिड रेजिडेन्सी, मोती डूंगरी अलवर, हाल वार्ड पार्षद वार्ड नं. 30 नगर परिषद अलवर, जिला अलवर द्वारा श्री रमेश गुप्ता ठेकेदार, श्री संजीव भार्गव ठेकेदार से रिश्वत के रूप मे पांच लाख पन्द्रह हजार रूपये लेना व उक्त रिश्वती राशि श्री नरेन्द्र मीना वार्ड पार्षद वार्ड नं. 30 नगर परिषद अलवर के निवास से बरामद होना व श्री राजेश दुरेजा पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्रेषित संलग्न सूत्र सूचना मे वर्णित वार्ताओ मे श्री रमेश गुप्ता ठेकेदार द्वारा अन्य ठेकेदारो से रिश्वत की राशि वसूल करना प्रमाणित पाया गया है जो जुर्म धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0 प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर रिश्वत लेने व रिश्वत देने के जुर्म से आगाह कर श्री नरेन्द्र मीना वार्ड पार्षद, श्री रमेश गुप्ता ठेकेदार, श्री संजीव भार्गव ठेकेदार नगर परिषद अलवर को नियमानुसार गिरफतार किया गया। रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया गया। श्री रघुवीर शरण पुलिस निरीक्षक विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर राजस्थान ने नगर परिषद, अलवर से कार्यवाही हाजा में नगर परिषद, अलवर राजस्थान के विभिन्न वार्डो में नाली, नाला, सिविर लाईन, सडक निर्माण एवं विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यो के संबंध में निविदा सूचना संख्या 9/2021 जारी कर पंजीबद्व सिविल फर्मो से निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसके संबंध में दिनांक 14.02.2022 को कार्यादेश जारी किए गए थे, उक्त कार्यादेश से संबंधित निर्माण शाखा की पत्रावलिया मय सम्पूर्ण रिकॉर्ड को लाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा भ्रनिब्यूरो सवाई माधोपुर को लाकर जरिये पत्रांक एसपीएल–2 दिनांक 17.02.2022 के द्वारा पेश किया। मूल पत्रावलिया व मूल पत्र प्रेषण पंजिका कार्यवाही हाजा में जप्त किया गया ।

अतः 1. श्री नरेन्द्र मीना पुत्र स्व. श्री प्रहलाद सिंह, जाति मीना, उम्र 48 निवासी फ्लेट नं. 202, ऑर्चिड रेजिडेन्सी, मोती डूंगरी अलवर, हाल वार्ड पार्षद वार्ड नं. 30 नगर परिषद अलवर, जिला अलवर 2. श्री रमेश गुप्ता पुत्र स्व. श्री शिवदयाल गुप्ता जाति महाजन, उम्र 50 वर्ष, निवासी मोहल्ला अखेपुरा, पुलिस थाना कोतवाली, हाल ठेकेदार नगर परिषद अलवर, जिला अलवर 3.श्री संजीव भार्गव उर्फ छोटू पुत्र स्व. श्री भागीरथ भार्गव जाति ब्राहम्मण, उम्र 53 वर्ष, निवासी मकान नं. 88, आर्य नगर, अलवर, हाल ठेकेदार नगर परिषद अलवर, जिला अलवर के विरूद्व जुर्म धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0 बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सवाई माधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री नरेन्द्र मीना पुत्र स्व.श्री प्रहलाद सिंह, निवासी फ्लेट नं.202 ऑर्चिड रेजिडेन्सी, मोती डूंगरी अलवर, हाल पार्षद वार्ड नं. 30 नगर परिषद अलवर, जिला अलवर, 2.श्री रमेश गुप्ता पुत्र स्व.श्री शिवदयाल गुप्ता, निवासी मोहल्ला अखेपुरा, पुलिस थाना कोतवाली, हाल ठेकेदार, नगर परिषद अलवर, जिला अलवर एवं 3.श्री संजीव भार्गव उर्फ छोटू पुत्र स्व.श्री भागीरथ भार्गव निवासी मकान नं.88, आर्य नगर, अलवर, ठेकदार, नगर परिषद अलवर, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 53/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

18/2/22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 487-91 दिनांक 18.2.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।

18/2/22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।